

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/31

रीवा, दिनांक 18/02/25

## अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत नान फॉर्मल एजुकेशन संकाय अन्तर्गत नान फॉर्मल एजुकेशन के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

## नान फॉर्मल एजुकेशन अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	प्रो. सुनील कुमार तिवारी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
28(2) दो	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
28(2) पाँच	1.	डॉ. शेषपाल नामदेव, सहायक प्राध्यापक, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत प्रो. सुनील कुमार तिवारी को नान फॉर्मल एजुकेशन अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल(म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)